नवभारत 04
इंदौर, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

एक नजर में

आदिवासी विकास परिषद् ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

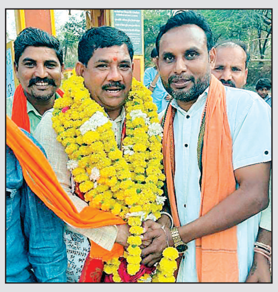

झाबुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं आदिवासी विकास परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंगार को भोपाल में विधानसभा के अंदर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ओकात में रहने जैसे अमर्यादित शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया गया। जिसको लेकर 23 फरवरी, सोमवार दोपहर आदिवासी विकास परिषद् ने कलेक्ट्रोरेट पहुंचकर मप्र के राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को नारेबाजी के साथ सौंपा गया। जिसमें तत्काल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लिया जाने की मांग की गई। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव एवं पार्षद विनय भाबोर के नेतृत्व में जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश डामोर, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रकाश खपेड, रामा ब्लाक अध्यक्ष रमेश मोहनिया, युवा नेता कमलेश परमार, राहुल बारिया, कमल खराड़ी, कमल बिलवाल आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने प्रशासकीय सुविधा के दृष्टिगत एसडीएम के बदले प्रभार

झाबुआ। कलेक्टर एवं जिलाधीश नेहा मीना ने जिले में प्रशासकीय कार्यों की सुविधा के दृष्टिगत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। जिसके अंतर्गत अब झाबुआ अनुभाग के नए एसडीएम महेशकुमार मंडलोई होंगे एवं वर्तमान एसडीएम भास्कर गाचले को एसडीएम थांदला का प्रभार दिया गया है। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा 23 फरवरी देर शाम जारी पत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यभार में आवश्यक बदलाव किया है। जिसके अनुसार संयुक्त कलेक्टर महेशकुमार मंडलोई, जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला थे, उन्हें एसडीएम झाबुआ के पद पर नवीन पदस्थापना की गई है। इसी प्रकार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर भास्कर गाचले जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ थे। उनकी नवीन पदस्थापना एसडीएम थांदला के पद पर की गई है। कलेक्टर नेहा मीना ने उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

भगोरिया हाट के दौरान झाबुआ पुलिस द्वारा जागरूकता एवं सुरक्षा अभियान

झाबुआ जिले में दिनांक 24.02.2026 से 03.03.2026 तक विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक भगोरिया हाट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 24.02.2026 को झाबुआ पुलिस द्वारा थांदला, पिटोल एवं अन्य स्थानों पर आयोजित भगोरिया हाट में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों, नशा उन्मूलन, यातायात नियमों के पालन एवं साइबर अपराध से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक एवं संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे आमजन तक सरल और प्रभावी संदेश पहुंच सके। साथ ही, हाट में आमजन को नशा न करने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

कल्याणसिंह डामोर बने अजजा मोर्चा के प्रशिक्षण प्रदेश प्रभारी

झाबुआ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष पंकजसिंह तेकाम द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र खंडेलवाल की सहमति से मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। जिसमें पूर्व भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश महामंत्री कल्याणसिंह डामोर को नया दायित्व सौंपा है। उन्हें मोर्चे का प्रशिक्षण प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य बहादुर हटीला को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान मिला है। नियुक्ति के बाद दोनों ही पदाधिकारियों का भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कल्याणसिंह डामोर भोपाल से सीधे देवझिरी तीर्थ पहुंचे। यहां भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। यहां उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। देवझिरी से काफिला राजगढ़ नाका पहुंचा। यहां पर पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जयघोष लगाए गए। यहां भी कार्यकर्ताओं ने ढोल-धमाकों के साथ श्री डामोर का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। उसके बाद काफिला मेघनगर नाका पहुंचा। यहां पूर्व सांसद स्व. दिलीपसिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेष दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर पाठक, सुरभानसिंह गुंडिया, भावेश सोलंकी, जितेंद्रसिंह पंवार, शरमा भूरिया, कमल डामोर, दिलीप भूरिया, मनोहर बैरागी, पवन गरवाल, कांपसिंह भूरिया, अभय वाखला, अभय डामोर, पंकज डामोर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस नियुक्ति पर कल्याणसिंह डामोर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तेकाम, मंत्री निर्मला भूरिया, नागरसिंह चौहान, सांसद अनीता चौहान, भाजपा प्रदेश संगीता सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष भानू भूरिया, पूर्व सांसद गुमानसिंह डामोर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया, पूर्व विधायक कलसिंह भाबोर, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम शर्मा, दौलत भावसार, चुन्नू शर्मा, लक्ष्मणसिंह नायक, भाजपा जिला महामंत्री विजय चौहान, गौरव खंडेलवाल एव राजेश वसूनिया, भाजपा अजजा मोर्चा प्रदेश मंत्री सोमसिंह सोलंकी आदि का आभार माना। श्री डामोर का कहना है कि नियुक्ति के बाद अब वे जनजाति समाज के उत्थान को लेकर कार्य में तेजी लाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाएंगे।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित

आलीराजपुर। जिले में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन कलेक्टर कार्यालय स्थित जनसुनवाई कक्ष में किया गया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर मनोज गरवाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आज की जनसुनवाई में कुल 17 आवेदक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। संयुक्त कलेक्टर ने सभी आवेदनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कनबाई बाई, पति माधु, निवासी गिरदा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिला आलीराजपुर ने आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्वे नंबर 32/65 की भूमि खरीदी थी, जिसमें से 16/65 भाग भूरीबाई पति जूवानसिंह को विक्रय कर रजिस्ट्री कराई थी। शेष भूमि के खाता-खसरा नकल में उनका नाम दर्ज नहीं है। प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई के लिए चन्द्रशेखर आजाद नगर तहसीलदार को निर्देशित किया गया। एक अन्य आवेदक ने बताया कि वर्ष 2023 में उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता के समय बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया गया था। 13 जनवरी 2026 को विद्युत विभाग आलीराजपुर से जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसे भरने में वह असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राहत की मांग की गई। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक जांच एवं निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पर कब्जा, घर से बेदखली, चपरासी पद पर नियुक्ति, आवास योजना, भूमि विवाद, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए।

विश्व प्रसिद्ध भगोरिया हाट में झलकती आदिवासी संस्कृति : श्वेता गंगा मोहनिया

झाबुआ। , मंगलवार से जिले में भगोरिया हाटों की शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी 2 मार्च तक चलेंगे। आदिवासी बहुल जिले के भगोरिया हाट ना केवल देश अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। भगोरिया हाट जिले की लोक संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाज को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। भगोरिया हाटों के बाद होलिका दहन, धुलेंडी, गल-चूल पर्व भी जिले में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्वेता गंगा मोहनिया ने बताया कि भगोरिया हाट की जिले में दस्तक करीब पखवाड़े

पूर्व से ही देखने को मिल जाती है। पलायन पर गए ग्रामीणजन भगोरिया हाट करने और शादियों के लिए अपने घर लौटते है। भगोरिया की ग्रामीणजनों को वर्षभर बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। भगोरिया हाटों का जिले के इतिहास में भी वर्णन है। जिले में भगोरिया के दौरान जिस स्थान पर हाट बाजार लगता है उसे भगोरिया हाट कहा जाता है। भगोरिया हाटों में आदिवासी ग्रामीण महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी विशेष परिधानों में सज-संवरकर पहुंचते है। ग्रामीण युवक-युवतियां समूह में एक जैसे परिधान पहनकर मेले में झूले-चकरी और खरीदारी का आनंद लिया जाता है। हाट बाजार में युवक-युवतियां एवं बच्चें टोलियों में पान, ठंडाई, स्वल्पाहार का लुत्फ उठाते है। ग्रामीणजन ढोल-मांदल पर जमकर नृत्य करने के साथ राजनीतिक पार्टियों द्वारा गैर निकाली जाती है। दिनभर बाजारों में विशेष रौनक रहती है।

आधुनिकता का रंग भी चढ़ रहा - भगोरिया हाटों को आदिवासी संस्कृति की एक अनूठी विरासत के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें अब आधुनिकता का रंग भी जुड़ रहा है। सांस्कृतिक प्रतीक भगोरिया मेले में आदिवासी परंपराएं, ढोल-मांदल की थाप, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा, गैर, समूह नृत्य मुख्य आकर्षण होते है। भगोरिया की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। यह मान्यता है कि दो भील राजाओं ने अपनी राजधानी भगोर में हाट (मेले) का आयोजन शुरू किया था, जो बाद में 'भगोरिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक मान्यता में कुछ लोग मानते है कि यह मेला भगवान शिव और पार्वती (भव और गौरी) से जुड़ा है, जो विवाह के लिए एक साथ आए थे।

फसल कटाई के बाद मनाई जाती है खुशियां

भगोरिया हाट पारंपरिक रूप से आदिवासी समाज द्वारा खरीफ फसलों को काटने के बाद किसानों की खुशी और व्यवसाय का प्रतीक है, जहां वे अपनी फसल बेचने के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए सामग्री खरीदते है। जिले में 7 दिनों तक भगोरिया की रंगत रहेगी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्वेता मोहनिया ने जिलेवासियों को भगोरिया, होलिका दहन, धुलेंडी, गल-चूल पर्व आदि की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी त्योहार हर्षोल्लास, खुशी और आनंद के साथ मनाने हेतु अपील की है।

भगोरिया मेले में गूंजा बाल विवाह मुक्ति का संदेश

▶ प्रचार रथ के जरिए ग्रामीणों को किया जागरूक, हस्ताक्षर अभियान चलाया

झाबुआ। जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मैदानी स्तर पर उतर आई हैं। 24 फरवरी, मंगलवार को जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन संस्था द्वारा एक विशेष पहल करते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार रथ को रवाना किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोक उत्सव भगोरिया के दौरान जन-जन तक यह संदेश पहुंचाना है कि बच्चों का भविष्य शादी की बेड़ियों में नहीं, बल्कि शिक्षा के आंगन में है।

अभियान की शुरुआत स्थानीय बस स्टैंड से हुई, जहां बाल कल्याण समिति सदस्य समीर कुलकर्णी ने प्रचार वाहन (रथ) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री कुलकर्णी ने कहा कि यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को बाल विवाह के कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति सचेत करेगा।

हस्ताक्षर अभियान चलाया गया - संस्था के भावेश सोलंकी ने बताया कि प्रचार रथ आंबुआ में आयोजित पारंपरिक भगोरिया मेले में पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। श्री सोलंकी ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के की शादी करना ना केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बाधित करता है। संस्था के नीलेश सिंगाड़िया ने बताया कि इस अवसर पर एक विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।

मेले में आए युवाओं ने बढ़-चढ़कर चार्ट पर हस्ताक्षर किए और शपथ ली कि वे ना तो बाल विवाह करेंगे और ना ही अपने समाज में होने देंगे।

पुलिस या चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें - जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस के जिला प्रबंधक मधुकर शर्मा ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यदि आपको कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी मासूम का जीवन उजड़ने से बचा सकती है। साधु सस्तिया और मनीषा बडोले ने कहा कि संस्था का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और बाल विवाह का शिकार ना बने।

श्री नवदुर्गा धाम पर महिला समिति ने फाग उत्सव मनाया, फूलों और गुलाल से खेली होली

झाबुआ। हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित श्री नवदुर्गा धाम पर महिला समिति ने फाग उत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। होलिका उत्सव के प्रारंभ पर हाउसिंग बोर्ड की महिलाओ द्वारा अम्बे माता मंदिर पर फाग उत्सव के तहत फूलों एवं प्राकृतिक रंगों द्वारा होली खेली गई। माताजी एवं भगवान शिवजी का अभिषेक कर भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। समिति सदस्याओं द्वारा फाग उत्सव में फूलों की पंखड़ियों से होली रास खेला गया एवं सूखे प्राकृतिक रंगों से गुलाल होली खेलकर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिसमें सभी ने पानी की बचत करने एवं रासायनिक रंगों से दूरी का संकल्प भी लिया गया।

इनकी रहीं उपस्थिति - फाग उत्सव में उषा पंवार, नीतू पंवार, सुनीता बुंदेला, शोभा बैरागी, मोनिका बैरागी, श्रीमती भट्ट, श्रीमती अरोरा, श्रीमंत राठौर, अलका शास्त्री, नीरलेश पांडे, कलावती मसानिया, उमा पंवार, अर्चना बैरागी, विष्णु चौहान एवं कॉलोनी की अनेक महिला सदस्यों ने भाग लिया।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में जिले के ट्रैफिक परिदृश्य, सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक डाटा तथा सर्वाधिक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा की गई। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता, सर्वाधिक दुर्घटना वाले स्थल की पहचान एवं उनके सुधार कार्य, अतिक्रमण की समस्या, तथा रोड इंजीनियरिंग एवं मरम्मत कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में पार्किंग समस्या, बस स्टैंड में जाम की स्थिति, तथा ट्रैफिक बल द्वारा की जा रही चालानी कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों पर सख्ती

▶ कलेक्टर नीतू माथुर ने समस्त एसडीएम एवं खाद्य विभाग की टीम को दिए निर्देश

आलीराजपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले में आगामी भगोरिया, होली तथा अन्य त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के दौरान आम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद एवं मानक स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से त्योहारों में अधिक खपत होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मावा, मिठाई, घी, तेल, मसाले, ड्राय फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, सेलीब्रेशन पैक एवं कोल्ड ड्रिंक्स पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

जिलेभर में सघन जांच अभियान चलाया जाना सुनिश्चत करें

कलेक्टर माथुर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए जिलेभर में सघन जांच अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें। इस अभियान के तहत अधिक से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिलावट की आशंका होने पर नमूने ले कर जांच करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित खाद्य पदार्थ को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर स्थानों पर खाद्य निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत संबंधित कारोबारकर्ताओं को सुधार सूचना जारी कर आवश्यक सुधार करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर माथुर ने संबंधित समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से जिला मुख्यालय को अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

एक नजर में ▶ बसों के टैक्स में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी और नई परिवहन नीति वापस नहीं ली तो 2 मार्च से पूरे

जिला बस आनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, हड़ताल आंदोलन की दी अग्रिम सूचना

आलीराजपुर। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आगामी एक अप्रेल से बसों के संचालन के लिए लाई जा रही नई दमनकारी नीति व बारात, टूर पार्टी के परमीटों पर 18 प्रतिशत की टैक्स बढ़ोतरी के चलते अब पूरे प्रदेश के बस मालिक सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए है। मप्र बस आनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर सोमवार को आलीराजपुर जिला निजी बस आनर्स एसोसिएशन ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर शिकायती ज्ञापन मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त के नाम का कलेक्टर नीतू माथुर को सौंपा। ज्ञापन में कलेक्टर नीतू माथुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्टैज कैरिज बसों के संचालन बाबत लाई जा रही नई दमनकारी नीति व टैक्स बढ़ोतरी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी गई। कलेक्टर नीतू माथुर ने संबंधितों को ज्ञापन

भेजने का आश्वासन दिया और बस मालिकों से उनकी समस्याओं पर आंदोलन करने के कारणों पर विस्तार से चर्चा भी की। ज्ञापन का वाचन जिला बस एसोसिएशन के सचिव आशुतोष पंचोली ने किया।

क्या है बस मालिकों की समस्याएं:-

बस एसोसिएशन के संरक्षक भगवतीप्रसाद जायसवाल पिंटू सेठ ने बताया कि रविवार दिनांक 22 फरवरी 2026 को सागर में प्रदेष के समस्त बस मालिकगण तथा संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ नियत बैठक में विचार विमर्ष के पष्चात यह निर्णय लिया गया है कि स्टैज कैरिज बसों के संचालन बाबद लाई जा रही नई दमनकारी नीति के कारण प्रदेष के समस्त बस मालिक आहत है। जिसके खिलाफ अब बस मालिकों को आंदोलन करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने बताया कि प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में हमारी मांगों को माना जाए अन्यथा समस्त बस व्यवसायीगण दिनांक 2 मार्च 2026 से अनिष्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस समस्या के निदान हेतु बस संचालकगण के द्वारा कई बार उचित जिम्मेदार प्रशासनिक व विभागीय व्यक्तियों के समक्ष निवेदन भी कर चुके है। परंतु कोई भी हल नहीं निकल सका है। इस कार्यवाही से जनता को होने वाली परेषानियों का जिम्मेदार शासन रहेगा।

एसोसिएशन के सचिव आशुतोष पंचोली ने बताया कि नई परिवहन नीति लागू होते ही हमारे सभी परमीट निरस्त कर दिए जाएंगे। सरकार द्वारा बनाई गई कंपनियां हमारी बसों का संचालन करेंगी। पूरे महीने का खर्चा हमारा होगा और जिन कंपनियों के पास न खुद की बसें है, न ही कर्मचारी, वह बैठे बैठे 10 प्रतिशत राशि लेंगी। अनुबंध भी मात्र 6-6 माह का किया जाएगा। कुछ समय बाद जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बसें लगाती जाएंगी, वैसे ही बस ऑपरेटर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सरकार बस मालिकों को बेरोजगार करने और यात्रियों से किराया 1.25 रुपए प्रति किमी की जगह 1.75 रुपए वसूल करके अतिरिक्त बोझ डाल रही है। रीतू डाबर ने बताया कि सरकार को यदि रोडवेज सरकारी बसें चलाना है तो बसें खरीद कर चलाए हमारे परमीट व बसें क्यों छीन रही है। बस मालिकों को मालिक से किराएदार बनाने की ऐसी योजना का सभी बस मालिक पुरजोर विरोध कर रहे है।

ये है चार प्रमुख मांगे :-

- मप्र सरकार ने दिनांक 24/12/2025 को राजपत्र पत्र में मोटर अधिनियम में संषोधन का प्रारुप प्रकाशित किया गया है उसे वापस समाप्त किया जाए।
- सरकार ने पुनः दिनांक 29/01/2026 को राजपत्र में किया गया संषोधन प्रकाषित किया गया है उसे भी पूर्ण रुप से समाप्त किया जाए।
- वर्तमान में जिस व्यवस्था के साथ प्रदेष में बस संचालन किया जा रहा है उसे यथावत रखा जाए।
- मप्र सरकार की नई परिवहन नीति और बारात/टूर/पार्टी के परमीट का टैक्स 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिषत किया गया है उस बढ़ोतरी को वापस 12 प्रतिषत पर ही यथावत रखा जाए।